

भाग-5

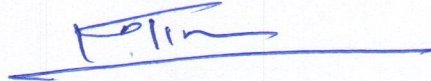
(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

उत्तर खीरी वन प्रभाग/बफर जोनए दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा पलिया-त्रिकौलिया-खजुरिया मार्ग (एस०एच०-101) किमी० नं०-117 चैनेज संख्या-117.800 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-193 स्थित ग्राम पैडिया थाना सम्पूर्णनगर तहसील पलिया जिला खीरी में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.04674 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/49746/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-229/81-2-2021-800(326)/2021 दिनांक 20 जनवरी 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर



()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित
(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

20-01-2022